## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
## पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

**अपील सं0 93 / 2017**
**आरसीएमएस नं. 2017 / 00168**

1. जंगीर सिह
2. लखा सिह
3. हरदीप सिंह
4. जरनैल सिह पुत्र श्री चरण सिंह

} पिसरान गुरबक्श सिह } जाति जटसिख निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

–अपीलान्ट

**बनाम**

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
– रेस्पोडैन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 18.02.2016
द्वारा प्रभारी अधिकारी राजस्व अभियान 2006 तहसील टिब्बी जिसकी रूह से चक 4 टी.एल.डब्ल्यू व चक 5 टी.एल.डब्ल्यू. की आराजीराज काबिल काश्त भूमि की किस्म नदी पेटा दर्ज करने के आदेश दिये गये।

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री रविन्द्र भोबिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक – 14.09.2022

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी तलवाड़ा झील ने प्रभारी अधिकारी कैम्प के समक्ष भूमि की किसम तब्दील करने बाबत ऐ आवेदन पेत्र पेश किया। चक 4 टीएलडब्ल्यू में कुल 51.876 है0 रकबा पानी डोब मे भूमि है जिसमें फसल काश्त होती है इस भूमि को नाली पेटा कर दिये तो उचित होगा। प्रभारी अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 18.02.2016 के द्वारा भूमि की किस्म परिवर्तन कर नाली ॥ से नाली पेटी (नदी) करने के आदेश दिये जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

2. विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने कतई गलत व विधि विरूद्ध है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एकपक्षीय पारित किया है। चक 5 टी.एल.डब्लयू. के खाता संख्या 1/1 की समस्त भूमि 50.233 है0 भूमि व चक 5 टीएलडब्ल्यू के खाता सं0 1/1 की समस्त 20.436 है0 भूमि नाली डोब की भूमि नही थी बल्कि घग्घर नदी के प्रवाह क्षेत्र से हटकर काबिल काश्त भूमि थी जिसे गत 60 वर्षों से अधिक समय से काश्तकारों द्वारा काश्त किया जाता रहा है यह भूमि कभी भी जल प्लावित नहीं रही है ना ही राजस्व अभिलेख में यह भूमि नाली डोब क्षेत्र की कभी दर्ज रही है। नदी द्वितीय होने के आधार पर इस भूमि को नदी की भूमि अर्थात नाली पेटा दर्ज किया गया है जो आधार कतई गलत व मनमाना है। भूमि के वर्गीकरण के आधार पर दर्ज भूमि को नाली पेटी की भूमि माना जाता है तो इस चक में नाली द्वितीय वर्गीकरण की भूमि दीगर लोगों की खतोदारी भूमि है। प्रश्नगत भूमि व दीगर खातेदारों की खातेदारी भूमि जो परस्पर चिपती हुई को नाली पेटी की भूमि नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय सिंचाई विभाग से कोई रिपोर्ट नहीं ली। यह भी कि घग्घर नदी में वर्ष भर जल प्रवाह नहीं होता बल्कि यह बरसाती नदी है जो ओट्टू हैड पर डैम बनाया जाकर इस नदी के पानी को नहरों में परिवर्तित किया जा चुका है। गत 25 वर्षों में घग्घर नदी में जल प्रवाह न्यून रह गया है। नाली पेटा होने यह यह भूमि राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 84 में वर्णित अनकल्चरेबल ऐरिया में आ जाने से अपीलाण्ट व अन्य काश्तकारों के टी.सी. पर काश्त कर लेने के अधिकार प्रभावित हुए हैं। प्रश्गनत भूमि अपीलाण्ट को टी.सी. पर आवंटित होती रही है। अपीलाण्ट सं0 1 के कब्जा काश्त में चक 4 टीएलडब्ल्यू के प. नं. 231/283 (6) के किला नं. 1 से 5, अपीलाट सं0 2 के कब्जा काश्त में चक 4 टीएलडब्लयू के प. नं. 231/283 (6) के किला नं. 11 से 15, व अपीलाण्ट सं0 3 के कब्जा काश्त में चक 4 टी.एल.डल्यू. के प. नं. 231/283 (3) के किला नं. 6 से 10 तथा अपीलाण्ट सं0 4 के कब्जा काश्त में चक 5 टीएलडब्ल्यू के प. नं. 231/282 (6) के किला नं. 9 से 12 व 18 की भूमि कब्जा काश्त में है इसलिए अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार हैं। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरसत किया जावे।

3. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन कियाकि पटवारी तलवाड़ा झील ने प्रभारी अधिकारी कैम्प के समक्ष भूमि की किस्म तब्दील करने बाबत ऐ आवेदन पेत्र पेश किया। चक 4 टीएलडब्ल्यू में कुल 51876 है0 रकबा पानी डोब मे भूमि है जिसमें फसल काश्त होती है इस भूमि को नाली पेटा कर दिये जाने के विचारण न्यायलाय ने आदेश दिये हैं जो उचित हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

4. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
5. अपीलाण्ट का कथन है कि प्रश्नगत भूमि उसे टी.सी.पर आवंटित होती रही है एवं यह भूमि नाली डोब की भूमि नहीं थी बल्कि घग्घर नदी के प्रवाह क्षेत्र से हटकर काबिल काश्त भमि जिसे गत 60 वर्षों से अधिक समय से काश्तकारों द्वारा काश्त किया जाता रहा है। परन्तु पत्रावली में प्रस्तुत पटवारी हल्का तलवाड़ा झील के आवेदन पत्र की पुश्त पर तहसीलदार टिब्बी की रिपोर्ट अंकित है जिसमें अंकित है कि "प्रश्नगत भूमि नाली डोब में है परन्तु जमाबन्दी में भूमि की किस्म नाली–ा दर्ज है। अतः प्रस्तावित भूमि की किस्म नी –ा से नाली पेटा कर दिया जावे तो यह भूमि नदी पेटा काश्त नियमों के तहत काश्त हो सकती है एवं राजस्व आय हो सकती है।" इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि नाली–ा दर्ज थी जिसे नाली पेटा (नदी) दर्ज किया गया है। जो विधि सम्मत है। प्रश्गनत भूमि पर अपीलाण्ट को किसी प्रकार के अधिकार हासिल नहीं हैं अपीलांट अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार नहीं है बल्कि अतिक्रमी है। धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील दोनों खारिज किये जाने योग्य है।
6. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील दोनों खारिज किये जाते हैं अधीनस्थ न्यायालय (प्रभारी अधिकारी, विशेष राजस्व अभियान 2006 तहसील टिब्बी) का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2006 यथावत रखा जाता है तथा उप तहसीलदार तलवाड़ा झील टिब्बी को आदेश दिया जाता है कि वह अग्रलिखित नदी पेटा की भूमि अपीलाण्ट सं0 1 के कब्जा काश्त में चक 4 टीएलडब्ल्यू के प. नं. 231/283 (6) के किला नं. 1 से 5, अपीलाट सं0 2 के कब्जा काश्त में चक 4 टीएलडब्लयू के प. नं. 231/283 (6) के किला नं. 11 से 15, व अपीलाण्ट सं0 3 के कब्जा काश्त में चक 4 टी.एल.डल्यू. के प. नं. 231/283 (3) के किला नं. 6 से 10 तथा अपीलाण्ट सं0 4 के कब्जा काश्त में चक 5 टीएलडब्ल्यू के प. नं. 231/282 (6) के किला नं. 9 से 12 व 18 की भूमि को उप तहसीदार तलवाड़ा झील कब्जा बहक सरकार लेकर 3 दिवस में इस न्यायालय को सूचित करे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।
7. निर्णय आज दिनांक 14.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/9/22

( करतारसिंह पूनीया )
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ